

Illegal Occupation of Land Allotted to Rehabilitation Ministry Employees' Cooperative House Building Society

10692. SHRI B.D. SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the total area of land given by DDA to the Rehabilitation Ministry Employees' Co-operative House Building Society ;

(b) whether there is/are any person(s) who is/are in illegal occupation of the land allotted to the above mentioned society ;

(c) if so, what are the details thereof, stating the area of the land under illegal occupation ; and

(d) what steps have been taken by Government to get the legal possession of the land vacated ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) :

(a) The Delhi Development Authority has not allotted any land to this society. Land measuring 45 acres has been allotted to the Rehabilitation Employees Coop. House Building Society by the Deptt. of Rehabilitation.

(b) and (c). On the basis of survey made by the Deptt. of Rehabilitation it has been found that about nine persons are in unauthorised and illegal occupation of an area of approximately 85,400 square yards.

(d) The Deptt. of Rehabilitation has initiated action for removal of the encroachment and eviction.

केन्द्रीय सरकार की निगरानी में चीनी मिलों द्वारा पेरा गया गन्ना

10693. श्री अशफाक हुसैन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1983

तक केन्द्रीय सरकार की निगरानी में चलने वाली गन्ना मिलों ने चालू मौसम में कितने मूल्य के गन्ने की पेराई की और निगमों अथवा राज्य सरकार के रिसीवरों के अधीन गन्ना मिलों एवं सहकारिता औ निजी क्षेत्र की गन्ना मिलों ने कितने मूल्य के गन्ने की पेराई की;

(ख) क्या सरकार सीधे अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से मिल मालिकों और चीनी एककों को गन्ना उत्पादकों को गन्ने की सप्लाई करने के 14 दिन के भीतर भुगतान करने के लिए बाध्य करेगी और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के अन्तर्गत 14% ब्याज दर की अदायगी करनी चाहिए; और

(ग) क्या यह केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं है; आवश्यक वस्तु अधिनियम और तत्सम्बन्धी बनाए गए आदेशों को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित करवाया जाये ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास पेरे गए गन्ने के मिलवार मूल्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है जिसमें चीनी फैक्ट्रियों द्वारा भेजी गई सूचनानुसार पिरी हुई मौसम 1982-83 के दौरान 31-3-83 तक फैक्ट्रियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में खरीदे गए गन्ने के मूल्य का मिलवार ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या LT—6671/83]

(ख) गन्ने के बकायों तथा उनपर ब्याज का भुगतान करवाने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास इनका भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां हैं। केन्द्रीय सरकार गन्ने के मूल्य के बकायों का तुरन्त भुगतान करवाने के लिए यथा-वश्यक और समय-समय पर अनुदेश जारी करती हैं। प्रभावकारी उपाय करने के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श देने के अलावा, केन्द्रीय

सरकार ने मिलों को अतिरिक्त बैंक-उधार की सुविधाएं सुलभ की हैं ताकि उनकी गन्ने के मूल्य के बकायों का भुगतान करवाने में मदद की जा सके।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को कुछेक शर्तों को पूरा करने पर सभी आवश्यक वस्तुओं के बारे में आदेश अथवा अधिसूचनाएं जारी करने विषयक शक्तियां दे दी हैं और राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को अधिनियम के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई करने की पूरी शक्तियां दी गई हैं। क्योंकि राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश इस सम्बन्ध में प्रवर्तन प्राधिकारी हैं, उन्होंने अपनी स्वयं की प्रवर्तन एजेंसियां स्थापित

कर ली हैं और केन्द्रीय सरकार उनको समय-समय पर परामर्श देती रहती हैं कि वे उनके पास उपलब्ध शक्तियों का अधिकतम इस्तेमाल करें और अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों को सख्ती के साथ लागू करें।

Loans given to N.C.D.C.

10694. SHRI SHANTUBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the loans given during the last three years by the National Cooperative Development Corporation to States for various purposes, State-wise ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : A statement indicating the loans given by the National Cooperative Development Corporation during the last 3 years to the States for various purposes, State-wise, is attached.

Statement

(Rs. in lakhs)

S. No.	Name of the State/ Union Territory	Y E A R S		
		1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	406.058	480.290	239.095
2.	Assam	205.619	169.120	257.486
3.	Bihar	96.204	370.942	484.259
4.	Gujarat	243.248	354.153	323.022
5.	Haryana	316.297	245.968	195.313
6.	Himachal Pradesh	139.377	105.994	86.422
7.	Jammu and Kashmir	8.485	—	—